तीन वर्षों के दौरान चीनी का कुल उत्पादन निम्नानुसार है:—

(लाख टन में)

मौसम	गन्ने का कुल उत्पादन
1992-93	230.64
1993-94	259.92
1994-95	352.36

(ग) तमिलनाडु राज्य में (30.9.95) तक वर्तमान क्षमता के विस्तार हेतु आशय पत्र प्राप्त करने वाली चीनी मिलों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**।

(घ) राज्य-वार गन्ने के उत्पादन, चीनी मिलों की कुल संख्या, पेराई क्षमता एवं गन्ना क्षेत्र दर्शाने वाला ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [**देखिये** परिशिष्ट 175, अनुपत्र सं० 39]

विवरण

तमिलनाडु राज्य में 30.9.95 तक वर्तमान क्षमता के विस्तार के आशय पत्रों को प्राप्त करने वाली चीनी मिलों के नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	मिलों का संक्षिप्त नाम	विस्तार की रेंज (टन गन्ना प्रतिदिन)
1.	नेल्लीकुप्पम	4000 से 5000
2.	मदुरांटकम	1750 से 2500
3.	तिरूत्तनी	1250 से 2500
4.	कल्लाकुरूची	2000 से 2500
5.	मयलाडुर्.य	1250 से 3500
6.	कुल्लुमांगुडी (धिरू ारूरन)	2000 से 2500
7.	अल् ुम्बम (ड ी अम्मन)	1250 से 2500

नई राष्ट्रीय बाल श्रम नीति

1386. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक नयी राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में बाल श्रम को समाप्त करने और उनको शोषण से बचाने के बारे में सरकार क्या व्यापक उपाय कर रही है?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्यमान राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अतिरिक्त, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 नामक एक व्यापक कानून है। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विभिन्न उपबंधों का प्रवर्तन किए जाने के अलावा, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, मोटर और परिवहन (कर्मकार) अधिनियम, 1961 आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों में भी सुरक्षात्मक उपबंध विद्यमान हैं। सरकार का दृष्टिकोण कानूनों के सभी बाल-सम्बद्ध उपबंधों का सौहार्दपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन करना है।

(घ) सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन करने के लिए किए गए व्यापक उपायों में अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:—

(i) देश में स्थित सार्वधिक बाल श्रम की बहुलता वाले जिलों के कलक्टरों की कार्यशाला का आयोजन।

(ii) चलाई जा रही 12 परियोजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल श्रम योजना के अधीन 11 राज्यों में 63 और परियोजनाओं की मंजूरी।

(iii) जिला स्तरीय जागरूकता सृजन क्रियाकलाप चलाने के लिए देश में स्थित 133 जिलों को वित्तीय सहायता।

(iv) देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में जोखिमकारी व्यवसायों में लगे हुए बाल श्रम की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराने के लिए 123 जिलों को वित्तीय सहायता।

(v) केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 26 सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन।

(vi) राज्य सरकारों को "बाल श्रमिकों की पहचान करने, मुक्त कराने और पुनर्वास करने" के विषय पर आवश्यक कार्रवाई के लिए एक विस्तृत परिपत्र जारी किया जाना।

(vii) बाल श्रम की समस्या से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र के राज्य श्रम मंत्रियों के साथ परामर्श।

बालकों को शोषण से बचाने के लिए, विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर प्रवर्तन तंत्र विद्यमान है। इन अधिनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों पर अभियोग चलाए जा सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश

1387. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में केन्द्र सरकार के निर्देशों की उपेक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में राज्य आयोग द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए हैं एवं दिनांक 30 जून, 1995 तक कितने मामलों का निपटान कर दिया गया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रारंभ से राज्य आयोगों में 24,107 मामले दायर हुए हैं, जिनमें से 12,903 मामलों का निपटान किया जा चुका है।

Chari Committee for the working of coal industry

1388. SHRI ; PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether a Committee has been appointed under the Chairmanship of Shri K.S.R. Chari to look into the working of the coal industry and for framing a new policy about the coal industry;

(b) if so, the details thereof;

(c) what are the terms of reference of the Committee;

(d) whether the Committee will also consider, with an open mind, the privatisation of coal industry as has been done in other various sectors of the economy;

(e) if so, the details thereof; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) The Planning Commission has constituted a Committee on Integrated Coal Policy under the Chairmanship of Shri K.S.R. Chari.

(b) The composition of the committee is given below:

1.	Shri K.S.R. Chari	Chairman
2.	Secretary, Ministry of Power	Member
3.	Secretary, Ministry of Coal	Member
4.	Member (Transportation), Rly. Board	Member
5.	Chairman, Coal India Limited	Member
6.	Chairman & Managing Director, NTPC	Member
7.	Shri R.G. Mahendru, Former Chairman, CMPDI	Member
8.	Adviser (Energy), Planning Commission	Member Secretary

(c) The terms of reference of the Committee are given in the enclosed statement. (*See* below)

(d) to (f) The terms of reference of the Committee cover the aspect of adoption of an appropriate policy package so as to attract private investment.